

# संकलित परिपत्र

## भाग - I

### विषय - सूची

#### 1. नियुक्ति

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक        | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 1.      | क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रस्ताव -एतत्संबंधी संशोधन।   | 3 / एम-1-1097/90-1128<br>दि० 07.02.2000   | 3-4          |
| 2.      | सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन।   | 3/एम-1-1097/90-4524<br>दि०-01.06.99       | 5-20         |
| 3.      | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।   | 3/सी-2-60108/94 का०-10063<br>दि०-11.09.98 | 21           |
| 4.      | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया-अधिकतम उम्र की क्षान्ति।                   | 3/सी-2-60117/97 का०-8093<br>दि०-25.07.98  | 22           |
| 5.      | बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राजपत्रित एवं वर्ग-3 के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ली जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कट-ऑफ-डेट का निर्धारण। | 7/च०प०-101/98 का०-2553<br>दि०-09.03.98    | 23-24        |
| 6.      | सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में जीप चालक / चालक के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में।  | पत्रांक 7003<br>दि०-31.07.97              | 25-26        |
| 7.      | तकनीकी प्रकृति के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।  | 3/एम 1-106/96 का०-5298<br>दि०-14.06.97    | 27           |
| 8.      | चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया।   | 3/एम-101/97 का०-3577<br>दि०-25.04.97      | 28           |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 9.      | सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि ।                             | 3/एम-1-250/91 का०-2212<br>दि०-28.02.96   | 29           |
| 10.     | सभी जिला समाहर्ताओं एवं उपायुक्तों के निजी सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में ।   | 8/वी/ 3-0/95-11315<br>दि०-08.12.95   | 30           |
| 11.     | क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।   | 1.3/एम 1-1097/90 का०-11243<br>दि०-06.12.95<br>2.10799 दि०-15.11.94<br>3.4069 दि०-16.04.94<br>4.5939 दि०-18.06.93<br>5.449 दि०-13.01.93 | 31-42        |
| 12.     | सेवा काल में मृत सरकारी सेवाओं के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन । | 3/सी 2-60108/94 का०-2822<br>दि०-27.04.95   | 43-45        |
| 13.     | मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में ।  | 3/सी-2-60108/94 का०-1320<br>दि०-06.03.95   | 46           |
| 14.     | सिविल विमानन विभाग में विमान चालकों / अभियंताओं की नियुक्ति हेतु समिति का गठन ।   | 3/आर-1-1031/94 का०-7057<br>दि०-21.07.94  | 47           |
| 15.     | जाली प्रमाण के आधार पर नियुक्तियों पर रोकथाम के संबंध में मार्ग दर्शन ।   | 11/वि. 4-जा. नि. 1001/93 का०-76<br>दि०-08.07.93  | 48-49        |
| 16.     | राजकीय उपक्रमों एवं सरकार के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में । | 3/एम 1-1069/86 (खंड) का०-5940<br>दि०-18.06.93  | 50-52        |

## ( III )

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक       | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 17.     | कारा, उत्पाद एवं वन विभागों में चतुर्थ वर्गीय वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन ।   | 3/आर-10268/92 का०-1391<br>दि०-10.02.93   | 53           |
| 18.     | सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन ।   | 3/एम-1097/90 का०-06<br>दि०-02.01.93      | 54           |
| 19.     | बिहार प्रशासनिक सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1991 के प्रावधानों को बिहार प्रशासनिक सेवा के सदृश अन्य राज्य सेवाओं में लागू किये जाने के संबंध में ।                          | 12/नि०-1010/91 का०-12643<br>दि०-18.11.92 | 55           |
| 20.     | वर्ग-3 के उपलब्ध रिक्तियों में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के दिनचर्या लिपिक / टंकक एवं मुफस्सिल कार्यालय के पत्राचार लिपिक अथवा लिपिक के 50 प्रतिशत पदों पर 60-40 के अनुपात में भरे जाने के संबंध में । | सं०सं० 7027/92 का०-335<br>दि०-16.09.92   | 56-61        |
| 21.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया-एक स्पष्टीकरण ।  | 3/सी 2-2067/90 का०-4735<br>दि०-19.05.92  | 62           |
| 22.     | बिहार प्रशासनिक सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1991  | 12/नि० 1010/91 का०-3047<br>दि०-08.04.92  | 63-66        |
| 23.     | क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन ।  | 3/एम 1-1057/90 का०-2603<br>दि०-31.03.92  | 67-84        |
| 24.     | सरकारी सेवा में वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति हेतु आयु के आधार पर अंकों का पुनर्निर्धारण ।  | 3/एम 1-2092/91 का०-2347<br>दि०-27.03.92  | 85-86        |
| 25.     | बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्वद को विघटित कर उसके द्वारा किये जा रहे कार्यों को बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करने के संबंध में ।  | 7/च०प० 202/91 का०-1191<br>दि०-27.02.92   | 87-88        |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक                   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 26.     | बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में। | 7/च०प० 1-3020/90 का०-274<br>दि०-23.01.92             | 89           |
| 27.     | चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उल्लंघन।   | 3/एम-1-2013/91 का०-599<br>दि०-06.01.92               | 90-101       |
| 28.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया।                                      | 3/सी 2-2067/90 का०-15427<br>दि०-22.11.91             | 102          |
| 29.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया।                                      | 3/सी 2-2067/90 का०-13293<br>दि०-05.10.91             | 103-111      |
| 30.     | बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अवसरों की अधिकतम सीमा में वृद्धि।                        | 3/एम 1-2072/91 का०-10824<br>दि०-17.08.91             | 112-113      |
| 31.     | बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्वद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण।       | 7/च०प० 1-101/88<br>(खंड 2) का०-10258<br>दि०-05.08.91 | 114          |
| 32.     | राज्य सरकार के अधीन गठित सेवाओं एवं विभिन्न विभागों में सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु भर्ती नियमावली तैयार करने के संबंध में।                               | 3/एम 1-2065/91 का०-7451<br>दि०-29.05.91              | 115-121      |
| 33.     | चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया।   | 3/एम 1-2013/91 का०-2880<br>दि०-05.03.91              | 122-123      |
| 34.     | राज्य सरकार के सेवकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि।                    | 3/एम 1-1065/90 का०-2534<br>दि०-26.02.91              | 124-125      |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 35.     | सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि ।   | 3/एम 1-208/91 का०-1600<br>दि०-04.02.91   | 126          |
| 36.     | सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों, यथा प्रवेशिका, साहित्य भूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रिक, आई.ए. एवं बी.ए. के समकक्ष स्थायी मान्यता । | 1. 8/आर 1-303/84 का०-541<br>दि०-11.01.91<br>2. 1446-दि०-02.03.87<br>3. 8/आर 1-2002/86 का०-184<br>दि०-07.01.87. | 127-133      |
| 37.     | बिहार लोक सेवा आयोग तथा अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण ।  | 7/च०प० 1-101/88 का०-15838<br>दि०-22.12.90  | 134-135      |
| 38.     | बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा ली जाने वाली ऐसी परीक्षाएँ जिसमें उम्मीदवारों की संख्या चालीस हजार से अधिक हो,..... प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में ।                           | 7/च०प० 1-3017/90 का०-15540<br>दि०-17.12.90   | 136-137      |
| 39.     | वर्ग-3 के उपलब्ध रिक्तियों में दिनचर्या लिपिक, टंकक के पदों पर अपेक्षित योग्यता रखने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सीमित सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के संबंध में ।                            | 10/परी-11014/88 का०-786<br>दि०-04.10.90  | 138-139      |
| 40.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।   | 3/सी 1-6031/90 का०-10650<br>दि०-25.08.90   | 140-142      |
| 41.     | महिलाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम 30 वर्ष की आयु सीमा में वृद्धि ।  | 3/एम 1-1038/90 का०-9816<br>दि०-10.08.90  | 143          |
| 42.     | अवर सेवा चयन पर्षद की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सरकारी सेवकों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट ।   | 3/एम 1-1021/90 का०-9809<br>दि०-10.08.90  | 144          |
| 43.     | अनुकम्पा के मामले, एक लाख व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध कराने एवं सामान्य प्रशासन के संबंध में दि० 13.6.90 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की कार्यवाही ।   | 3/एल 2-1-201/87 का०-7228<br>दि०-18.06.90   | 145-149      |

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक            | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|---|--------------|
| 44.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु लम्बित मामलों के निष्पादन के संबंध में।                        | 3/एल 2-1-20/87 का०-6774<br>दि०-06.06.90       | 150          |
| 45.     | सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील सं०-1509 / एल. एल. / 1981 में दिये गये निर्णय के आलोक में राजकीय उपक्रमों एवं सरकार के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों के समायोजन हेतु निर्देश। | 3/एम 1069/88 का०-3955<br>दि०-10.04.90         | 151-153      |
| 46.     | बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्यद की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सरकारी सेवकों की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि।  | 3/एम 1-1021/90 का०-2533<br>दि०-26.02.91       | 154          |
| 47.     | बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्यद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण।                        | 7/च०प०-101/88 (खंड 2) का०-956<br>दि०-25.01.90 | 155-157      |
| 48.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया।   | 3/सी 1-2030/88 का०-6817<br>दि०-25.05.89       | 158          |
| 49.     | श्रेणी-3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु जिला के स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के संबंध में।  | 3/एम 1-1013/89 का०-6336<br>दि०-12.05.89       | 159          |
| 50.     | सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाया जाना.....3 वर्ष की वृद्धि।  | 3/आर 1-308/83 का०-1265<br>दि०-28.01.89        | 160-161      |
| 51.     | बिहार लोक सेवा आयोग तथा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्यद द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हतांक का समान रूप से निर्धारण।                        | 7/च०प० 1-101/88 का०-12892<br>दि०-29.10.88     | 162-163      |
| 52.     | सीमित राजपत्रित कनीय अधियता के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।  | 3/एम 1-5029/86 का०-11585<br>दि०-02.11.87      | 164-165      |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक             | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 53.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया-विभागीय समितियों में कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग द्वारा मदस्यों का मनोनयन । | 3/सी 1-309/87 का०-9818<br>दि०-17.09.87         | 166-168      |
| 54.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।   | 3/एल 2-201/87 का०-9178<br>दि०-31.08.87         | 169          |
| 55.     | सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा को 30 वर्ष तक बढ़ाया जाना .....3 वर्षों की वृद्धि ।   | 3/आर 1-308/83 का०-800<br>दि०-06.02.87          | 170          |
| 56.     | सरकारी कार्यालयों में तदर्थ नियुक्तियों पर रोक ।  | 3/एल 3-102/85 का०-7639<br>दि०-11.06.86         | 171          |
| 57.     | बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभिन्न राज्य सेवाओं में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण ।  | 3/आर 1-103/86 का०-4205<br>दि०-09.04.86         | 172-173      |
| 58.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित की जानेवाली समिति के सदस्यों के संबंध में ।                                  | 3/एम-1-5020/85 का०-6405<br>दि०-21.05.85        | 173          |
| 59.     | सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की विहित योग्यता में वृद्धि करने एवं कार्यभार के वर्तमान मापदंड को बढ़ाने के संबंध में ।   | ओ. एम. / आर. 3-01/84-01/ओ. एम.<br>दि०-03.01.85 | 174-175      |
| 60.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।   | पत्रांक 11946<br>दि०-30.11.84                  | 176-177      |
| 61.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।   | 3/आर 1-3039/92 का०-4211<br>दि०-12.04.84        | 178-179      |

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 62.     | सचिवालय विभागों/ विभागाध्यक्षों तथा संबद्ध कार्यालयों में बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्यद द्वारा सीधे टंकक के रिक्त पदों पर किये गये आवंटन।                         | 1.10/परी. 1904/83 का०-789<br>दि०-11.08.83<br>2.एफ 1112/55-9222एफ<br>दि०-09.09.55 (वित्त विभाग) | 180-181      |
| 63.     | सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा 30 वर्ष तक बढ़ाया जाना.....3 वर्षों की वृद्धि।   | 3/आर 1-302/80 का०-2026<br>दि०-17.02.82   | 182          |
| 64.     | बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्यद का गठन।   | 1. प्र०सु० 3-301/79-23प्र०सु०<br>दि०-20.04.81<br>2. 68 दि. 25.7.81<br>3. 6489 दि. 23.5.81      | 183-191      |
| 65.     | अनुकम्पा के आधार पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति में प्राथमिकता देने के संबंध में।  | 3/आर 1-303/80 का०-814<br>दि०-22.01.81  | 192          |
| 66.     | सरकारी कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया।   | 1. 3/आर 1-103/73 का०-16440<br>दि०-03.12.80<br>2. 16372 दि०-02.12.80                            | 192-201      |
| 67.     | चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया।  | 3/आर 1-103/73 का०-16441<br>दि०-03.12.80  | 202-204      |
| 68.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायक के कुल रिक्त पदों के 25%..... सीमित परीक्षा के आधार पर भरा जाना।   | 10/परी-11057/80 का०-850<br>दि०-22.08.80  | 205          |
| 69.     | सेवाकाल में सरकारी सेवकों की असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता।     | 1. 3/आर. 1-303/80 का०-6694<br>दि०-17.05.80<br>2. 12754 दि०-12.7.77                             | 206-209      |
| 70.     | सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता। | पत्रांक-11478<br>दि०-05.07.79  | 210          |
| 71.     | चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया।  | 3/आर. 1-302/75 का०-6148<br>दि०-09.04.79  | 210          |



## 2. स्थानान्तरण/पदस्थापन

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 1.      | पदस्थापना के प्रतीक्षारत बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को ससमय पदस्थापित करने हेतु मार्गदर्शन ।  | 12/प०-1059/99 का०-9745<br>दि०-12.11.99   | 213          |
| 2.      | नये पद का प्रभार ग्रहण करने पर भी पूर्व पद का प्रभार नहीं सौंपने/त्यागने के संबंध में ।   | 1/एस.-05/98 का०-3881<br>दि०-07.04.98   | 214          |
| 3.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों.....<br>सी. डब्लू. जे. सी. नं०-5502/97 विजय कुमार साव बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन ।  | 18 (क) 8010/97 का०-607<br>दि०-15.09.97   | 214-217      |
| 4.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सहायकों/पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया ।  | सं०सं० 18 (ख) 201/96 का०-606<br>दि०-15.09.97   | 217-221      |
| 5.      | बि०प्र०से० के पदाधिकारियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ।   | 1. 14/प 2-2118/94 का०-1231<br>दि०-06.02.97<br>2. 1/प 1-30396/80 का०-1541<br>दि०-06-02-82<br>3. मंत्री. सचि. संकल्प सं०-<br>3918 दि०-25.10.80 | 221-232      |
| 6.      | स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित नहीं करने के संबंध में ।  | 14/प 2-1075/96 का०-11747<br>दि०-31.10.96   | 232-233      |
| 7.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों के स्थानान्तरण/पदस्थापना ।   | सं०सं० (ख)-508/96-880<br>दि०-19.09.96  | 233-235      |
| 8.      | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग द्वारा बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को सेवाएं, विभिन्न विभागों/निगमों/परिषदों/उपक्रमों के अधीन विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन के लिए सौंपे जाने पर उन पदाधिकारियों का ससमय पदस्थापन । | 12/प०-1069/94 का०-8695<br>दि०-12.09.94   | 235-236      |

(x)

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक        | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 9.      | बि०प्र०से० के स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित करने के संबंध में ।   | 12/सु०-1154/92 का०-3244<br>दि०-31.03.93   | 236-237      |
| 10.     | जनता दरबार में शिकायत के आधार पर सरकारी सेवकों के स्थानांतरण के संबंध में ।   | पत्रांक-286 दि०-01.06.92                  | 237-238      |
| 11.     | निजी सहायकों को अनुमान्यता तथा पदस्थापन में वरीयता के संबंध में ।   | 9/19-108/91 का०-440<br>दि०-17.09.91       | 238-239      |
| 12.     | कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के द्वारा बि०प्र०से० के पदाधिकारियों की सेवाएं विभिन्न विभागों/निगमों/पर्षदों/उपक्रमों के विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन के लिए सौंपने के संबंध में । | 14/प. 2-2025/91 का०-8717<br>दि०-04.07.91  | 239-240      |
| 13.     | सरकारी सेवकों को स्थानान्तरित करने के पश्चात् योगदान नहीं देकर बाह्य व्यक्ति से सिफारिश/प्रभाव डालने के संबंध में ।   | 14/प. 1-1058/90 का०-15890<br>दि०-26.12.90 | 241          |
| 14.     | बि०प्र०से० के पदाधिकारियों के पदस्थापन ।  | 14/प. 2-2012/90 का०-5728<br>दि०-21.05.90  | 241-242      |
| 15.     | सरकार द्वारा गठित विभागीय स्थापना समिति द्वारा पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन करते समय मौलिक बिन्दुओं पर विचार करने के संबंध में ।  | 14/प. 2-2019/89 का०-6818<br>दि०-25.05.89  | 243          |
| 16.     | राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानांतरण होने के उपरान्त उन्हें विरमित करने से संबंधित ।  | 1/पी. 1-79/88 का०-4521<br>दि०-03.04.89    | 244-245      |
| 17.     | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के नियंत्रणाधीन निजी सहायकों का विभागवार विभागीय प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में पदस्थापन करने के संबंध में ।  | 9/वि. 1-1064/88 का०-49<br>दि०-18.01.89    | 245-248      |
| 18.     | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के नियंत्रणाधीन निजी सहायकों का विभागवार विभागीय प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में पदस्थापन ।  | 9/प्र. 19-107/78 का०-1022<br>दि०-17.12.88 | 248-249      |
| 19.     | चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक ।   | 3/एम-5038/80 का०-4651<br>दि०-25.04.84     | 250          |

(x)

### 3. प्रोन्नति

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक                     | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 1.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों.....<br>कालबद्ध प्रोन्नति ।   | सं०सं०-11027/96 का०=41<br>दि०-11.01.96                 | 253          |
| 2.      | बि०प्र०से० के वरीय प्रवर कोटि के वेतनमान<br>में बि.प्र.से. के पदाधिकारियों को भूतलक्षी<br>प्रभाव से प्रोन्नति ।   | 14/बी.-528/94-10793<br>दि०-24.11.95                    | 254-255      |
| 3.      | बि०प्र०से० संवर्ग के सुपर टाइम श्रेणी-3 के<br>पदाधिकारियों को सरकार के विशेष सचिव<br>का दर्जा प्रदान करने के संबंध में ।  | सं०सं०-3576<br>दि०-20.05.95                            | 255-256      |
| 4.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों.....<br>प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति ।   | सं०सं०-1401/94 का०-437<br>दि०-16.07.94                 | 257-258      |
| 5.      | संवर्ग प्रबंधन की दृष्टि से प्रशासनिक प्रक्रिया<br>को इस प्रकार युक्तियुक्त बनाना (रैशनलाइज)<br>ताकि सरकारी सेवकों को रिक्ति की तिथि<br>से ही प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके । | 3/एम.-2077/91 (खंड) का०-2786<br>दि०-19.03.93           | 259-260      |
| 6.      | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के प्रशासनिक<br>नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग<br>के निजी सहायकों के कालबद्ध प्रोन्नति के<br>फलस्वरूप वेतनमान का निर्धारण ।              | 9/सं०सं० 1-303/89 का०-148<br>दि०-27.01.93              | 260-261      |
| 7.      | प्रशासनिक प्रक्रिया को 'रैशनलाइज' कर<br>रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति दिये जाने के<br>संबंध में ।   | 3/एम 1-2077/91 (खंड) का०-104<br>दि०-09.01.92           | 261-262      |
| 8.      | विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन तथा उनकी<br>कार्यप्रणाली ।   | 7/पी.एस.सी. 3-103/90 (खंड)<br>का०-9076<br>दि०-11.07.91 | 262-263      |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक                   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 9.      | विभागीय प्रोन्नति समिति में तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित समितियों/उच्च स्तरीय चयन समितियों में कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन। | 7/पी.सी.एस.-3-103/90 (खंड)<br>का०-25<br>दि०-02.01.91 | 264-267      |
| 10.     | विभिन्न राज्य सेवाओं/संवर्गों के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन-समिति के अध्यक्ष के संबंध में।  | 7/पी.एस.सी.-3-101/88-5305<br>दि०-16.05.90            | 268          |
| 11.     | सचिवालय सहायक संयुक्त संवर्ग निर्माण के क्रम में सहायक संवर्ग में रुकी हुई कालबद्ध प्रोन्नति।   | 10/परी.-1805/89 का०-343<br>दि०-03.04.89              | 269          |
| 12.     | विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन तथा उनकी कार्यप्रणाली।   | 7/पी.एस.सी. 3-101/88 का०-2653<br>दि०-28.02.89        | 269-276      |
| 13.     | 'लोक सेवा आयोग के परामर्श' संबंधी अधिसूचना सं० 1174/24-01-89 का शुद्धि पत्र।  | 7/पी.एस.सी. 3-101/88 का०-2459<br>दि०-24.02.89        | 276-277      |
| 14.     | मंत्री परिषद के सभी स्तर के मंत्रियों तथा विभागीय आयुक्तों एवं सचिवों के लिए..... सचिव के पदों का सृजन एवं.....निजी सहायक संवर्ग के आप्तसचिवों को प्रोन्नति।  | 9/नि. 1-1051/87 का०-714<br>दि०-23.01.87              | 277-280      |
| 15.     | सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा, 1983 में उत्तीर्ण सहायकों को.....भूतलक्षी प्रभाव से.....प्रोन्नति एवं अन्य सुविधाएँ।   | का०-4830<br>दि०-29.04.86                             | 280-282      |
| 16.     | सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों के सहायकों को सशर्त कालबद्ध प्रोन्नति।   | 10/परी.-1017/85 का०-192<br>दि०-19.02.86              | 282-283      |
| 17.     | सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति।   | 10/परी.-407/80 का०-595<br>दि०-06.07.81               | 283-284      |

-----

## 4. संवर्ग अधिनियम/नियमावली

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक       | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 1.      | बि०प्र०से०-पदचिह्नीकरण ।  | 12/नि. 1035/91 का०-2632<br>दि०-31.03.99  | 287-295      |
| 2.      | Amendment in Joint Cadre of Assistants of Secretariat and attached offices Rules, 1992. | S.S. (18 Ka)-5010/92-496<br>dt. 20.07.98 | 296-297      |
| 3.      | बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 में संशोधन ।                               | जी.एस.आर.-06<br>दि०-15.03.97             | 298          |
| 4.      | बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996.   | जी.एस.आर.-05<br>दि०-15.03.97             | 299-301      |
| 5.      | सहायकों के संयुक्त संवर्ग नियमावली में संशोधन ।   | सं०सं०702/95 का०-145<br>दि०-03.03.97     | 301-302      |
| 6.      | संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 में संशोधन ।  | सं०सं० 6054/94 का०-789<br>दि०-29.08.96   | 302          |
| 7.      | सहायकों का संयुक्त संवर्ग (संशोधन) अधिनियम, 1993.                                       | लेख 410<br>दि०-26.08.93                  | 303-304      |
| 8.      | सहायकों के संयुक्त संवर्ग (संशोधन) अध्यादेश, 1993.                                      | दि०-06.02.93                             | 305-306      |
| 9.      | संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992   | एस. ओ. 121<br>दि०-01.06.92               | 306-316      |

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक               | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 10.     | बि०प्र०से० (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1991  | 12 नि०-1010/91 का०-3047<br>दि०-08.04.92          | 317-320      |
| 11.     | सभी विभागों के क्षेत्रीय एवं समकक्ष पदधारकों को प्रोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए विभागवार पृथक संवर्ग का गठन किये जाने के संबंध में।                            | 3/एम. 1-2065/91 का०-103<br>दि०-09.01.92          | 320-321      |
| 12.     | संयुक्त संवर्ग अधिनियम, 1989 (बिहार अधिनियम 9, 1989)   | -  | 321-324      |
| 13.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायकों के संयुक्त संवर्ग का निर्माण।  | 10/परी.-1001/87 का०-11237<br>दि०-02.09.88        | 324-325      |
| 14.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायकों के संयुक्त संवर्ग का निर्माण।  | 10/परी.-1001/87 (खंड)<br>का०-11012, दि०-31.08.88 | 325-328      |
| 15.     | राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।   | 3/आर. 1-405/82 का०-3746<br>दि०-31.3.86           | 329-330      |
| 16.     | असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1951 में संशोधन।  | 3/आर. 1-303/79 का०-5857<br>दि०-02.05.80          | 330-332      |
| 17.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत उच्चवर्गीय एवं निम्नवर्गीय सहायकों के संवर्गों के एकीकरण के फलस्वरूप उनके पदनाम, परीक्षा पद्धति, प्रोन्नति आदि की नई व्यवस्था। | 10/परी.-1052/77 का०-1447<br>दि०-21.12.78         | 333-334      |

## 5. पदसृजन/पदावधि विस्तार/स्थायीकरण

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक                          | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 1.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सृजित अस्थायी पदों के अवधि विस्तार एवं स्थायीकरण की कार्रवाई करने के संबंध में।                             | 16 (क) सं०प० (वि०)-10-01/97<br>का०-48/ओ.एम.<br>दि०-23.06.98 | 337          |
| 2.      | मंत्री परिषद के सभी स्तर के मंत्रियों तथा विभागीय आयुक्तों एवं सचिवों के लिए वेतनमान 3000-4500/- रु० में सचिव के पदों का.....सृजन।            | 9/नि० 6-110/91 का०-163<br>दि०-21.03.97                      | 338-339      |
| 3.      | पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति-सह-फिटमेंट कमीटी की अनुशंसा के आधार पर..... पदों की स्वीकृति।   | 9/सं०सं० 29-108/94 का०-666<br>दि०-01.12.95                  | 339-341      |
| 4.      | सरकार के विभिन्न विभागों के अस्थायी सृजित पदों के अवधि विस्तार पर प्रशासनिक सहमति।  | 18/सं०प०/अ०-10-109/93<br>का०-113<br>दि०-18.11.93            | 342-344      |
| 5.      | तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे पदों का स्थायीकरण।   | 10/परी.-901/92 का०-08<br>दि०-02.02.93                       | 344-345      |
| 6.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदों का सृजन एवं अवधि विस्तार।  | 18/ओ.एम./अ.वि. 1020/92-119<br>दि०-17.10.92                  | 345-346      |
| 7.      | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग में मंत्री परिषद ..... सचिव के सृजित 27 पदों का स्थायीकरण। | 9/नि. 1-103/90 का०-292<br>दि०-08.06.92                      | 346-347      |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक             | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 8.      | पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति-सह-फिटमेंट कमिटी की अनुशांसा के आधार पर..... पदों की स्वीकृति ।         | 9/सं०सं०-1-303/89 का०-394<br>दि०-21.06.91      | 347-349      |
| 9.      | कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन.....48 पदों का स्थायीकरण ।                    | 9/नि० 1-103/90 का०-244<br>दि०-19.04.91         | 349-350      |
| 10.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदों के सृजन एवं अवधि विस्तार की स्वीकृति ।                     | ओ.एम./सी. 1-01/87 का०-145<br>दि०-21.12.87      | 350-351      |
| 11.     | तीन वर्षों से अधिक अवधि से चले आ रहे पदों का स्थायीकरण ।  | 10/परी.-1001/82 का०-216<br>दि०-14.02.84        | 351-352      |
| 12.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में नये मानक के अनुसार प्रशाखा पदाधिकारी के अतिरिक्त पदों का सृजन । | 1/एम. 1-6084/80 का०-280<br>दि०-08.09.80        | 352-353      |
| 13.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में नये मानक के अनुसार प्रशाखा पदाधिकारी के अतिरिक्त पदों का सृजन । | 279 दि०-08.09.80                               | 353-354      |
| 14.     | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के प्रशाखा पदाधिकारियों का अनुमान्य मापदंड में परिवर्तन ।           | का०प्र०सु० 02-2063/78 का०-7205<br>दि०-24.05.80 | 354-355      |
| 15.     | सचिवालय विभागों के साथ एकीकृत विभागाध्यक्षों के कार्यालय का पृथक्कीकरण ।                          | ओ०एम०/आर 2-4/78 का०-260<br>दि०-09.08.79        | 356-358      |



## 6. परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक                                     | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 1.      | पदाधिकारियों की परिवीक्षी अवधि की समाप्ति के बाद सेवा सम्पु   | 12/टि. 4-162/93 का०-467<br>दि०-16.12.98                                | 361-362      |
| 2.      | प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता ।   | 3/वि-1-201/98-11971<br>दि०-13.11.98                                    | 362-363      |
| 3.      | विभागीय परीक्षा पास करने की तिथि की मान्यता । (केन्द्रीय परीक्षा समिति)   | 1. 4/24-104/95-13445<br>दि०-25.09.96<br>2. 4/24-33/77-18, दि०-11.07.80 | 363-365      |
| 4.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों.....<br>विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति ।   | सं०सं०-566<br>दि०-18.10.95   | 365-366      |
| 5.      | बि०प्र०से० पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि ।   | 12/सी.-102/95 का०-4158<br>दि०-02.06.95                                 | 366          |
| 6.      | सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति ।  | 1. 3/आर.-1-101/91 का०-4674<br>दि०-15.05.92<br>2. 11691 दि०-09.11.83    | 367-368      |
| 7.      | सीमित राजपत्रित कनीय अभियंताओं के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया का निर्धारण ।   | 3/आर.-1-1054/91 का०-273<br>दि०-23.01.92                                | 369          |
| 8.      | सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।   | 3/एम.-1-1042/90 का०-7017<br>दि०-14.06.90                               | 370-371      |
| 9.      | सचिवालय सहायक विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सहायकों के संबंध में ।   | 10/परी.-2006/83 का०-850<br>दि०-29.08.83                                | 371-372      |
| 10.     | वर्ष 1982 में विभिन्न स्रोतों से नियुक्त अस्थायी सहायकों का स्थायीकरण-पटना उच्च न्यायालय मुकदमा सं०..... ।  | 10/परी.-907/81 का०-1018<br>दि०-11.10.83                                | 372-373      |
| 11.     | वर्ष 1962 से विभिन्न स्रोतों से नियुक्त अस्थायी सहायकों के स्थायीकरण के संबंध में ।   | 10/परी.-901/80 का०-257<br>दि०-30.03.81                                 | 373-375      |
| 12.     | बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सीधी नियुक्ति तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण भी प्रक्रिया में एकरूपता । | संख्या 15116<br>दि०-11.09.79   | 376          |

## 7. सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति लाभ

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक         | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 1.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक संयुक्त संवर्ग के सदस्यों की पेंशन एवं उपादान और अव्यवहृत छुट्टी के लिए नकद राशि की स्वीकृति देने के पहले नियंत्री पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की अनिवार्यता । | सं.सं० 18(ख)-813/96 का०-23<br>दि०-18.01.99 | 379-380      |
| 2.      | सी.डब्ल्यू.जे.सी. नं० 4265/94 मो० रुकमिनी देवी बनाम राज्य एवं अन्य (महाधिवक्ता, बिहार) ।   | पत्रांक-3167<br>दि०-27.03.96               | 381-387      |
| 3.      | सहायक संयुक्त संवर्ग में प्रोन्नति के पश्चात् एक विभाग के पदाधिकारी को दूसरे विभाग में पदस्थापन के पश्चात् उनकी सेवानिवृत्ति, पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा आदि के भुगतान के संबंध में ।                             | सं.सं० 103/90 का०-3132<br>दि०-24.3.90      | 388          |

## 8. गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 1.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों/ पदाधिकारियों के संयुक्त संवर्ग.....अभ्युक्ति अभिलेखित करने के संबंध में।  | सं०सं० 18(ख)-602/99 का०-577<br>दि०-20.07.99  | 391-392      |
| 2.      | बि०प्र०से० के पदाधिकारियों के गोपनीय अभ्युक्तियों अभिलेखित करने के संबंध में।   | 5. (ख) सी.आर.-304/94 का०-6682<br>दि०-07.08.95  | 392          |
| 3.      | अराजपत्रित कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति लिखने की व्यवस्था.....।  | 3/एम. 1-28115/91 का०-6381<br>दि०-30.06.93  | 393-395      |
| 4.      | राज्य सरकार के कतिपय स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक.....स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण।   | 2/पी.एस./87-4561 का०<br>दि०-22.05.87   | 396-398      |
| 5.      | राज्य सेवा के पदाधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन, 20 सूत्री कार्यक्रम में लक्ष्य प्राप्ति एवं कार्य की पूर्णता के संबंध में सुस्पष्ट उल्लेख करने के संबंध में।  | 1. 5/सी.आर. 1101/87 का०-3927<br>दि०-11.05.87<br>2. 6/सी.आर. 203/76 का०-10742<br>दि०-24.05.76 | 398-400      |
| 6.      | बि०प्र०से०/अन्य राज्य सेवाएँ/निगम संवर्ग के वैसे पदाधिकारी, जो लोक उद्यम ब्यूरो के अधीन लोक उपक्रमों में पदस्थापित हैं, की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण। | 5/सी.आर.-1014/80 का०-14726<br>दि०-05.12.86   | 400-401      |
| 7.      | बि०प्र०से० के पदाधिकारियों के कार्यों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन।  | 5/सी.आर.-207/84 का०-12622<br>दि०-15.12.84  | 401-402      |
| 8.      | राज्य सेवा के पदाधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन।   | 5/सी.आर.-10028/77 का०-7444<br>दि०-30.04.79   | 402-417      |

## 9. अनुशासनिक कार्यवाही

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 1.      | अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन।  | 2/सी.3-3087/96-2144<br>दि०-15.03.2000  | 421-422      |
| 2.      | राज्य सरकार के अधीनस्थ वरीय पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा दिये गये दंड के विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-57 (5) के अंतर्गत अपील दायर करने के संबंध में। | 2/सी.3-6003/99 का०-4646<br>दि०-07.06.99                                      | 422-423      |
| 3.      | विभागीय कार्यवाही में पारित आदेश के तहत संसूचित दंड की प्रभावी तिथि के संबंध में।  | 3/एम-1072/98 का०-13110<br>दि०-16.12.98                                       | 423          |
| 4.      | सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई।  | (1) सं०सं० (ख)-801/95<br>का०-323<br>दि०-04.04.96<br>(2) का० 485 दि०-07.12.93 | 424-427      |
| 5.      | निलंबित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बन से मुक्त कर पुनः नियुक्त करने के संबंध में।   | सं०सं०/18-03-010/92 का०-107<br>दि०-06.11.93                                  | 428          |
| 6.      | संविधान के 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद -311 में किये गये संशोधन के उपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत करने के संबंध में।  | 6/स्था० (विधि)-59/93 का०-11671<br>दि०-17.12.93                               | 429          |

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 7.      | असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली एवं बिहार-उड़ीसा अवर सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली में संशोधन का स्थगन।  | 3/एम. 1-1037/90 का०-7707<br>दि०-17.07.92   | 430          |
| 8.      | सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन के संबंध में।  | (1) 2/सी 3-30365/97 का०-7106<br>दि०-06.07.92<br>(2) 3/आर-102/78 का०-12727<br>दि०-17.07.79  | 431-433      |
| 9.      | सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया आरोपों को सही पाये जाने के उपरान्त उनकी सेवा संपुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन आदि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण। | 1. 3/आर. 1-308/84 का०-9146<br>दि०-12.07.91<br>2. सं०सं०-14933, दि०-07.12.85<br>3. 12/ई. 3-20308/77 का०-4512<br>दि०-12.03.79<br>4. 7225 दि०-06.06.1981<br>5. 18326 दि०-27.09.78 | 434-442      |
| 10.     | बिहार-उड़ीसा अवर सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1935 में संशोधन।   | 3/एम. 1-1037/90 का०-7773<br>दि०-06.06.91   | 442-443      |
| 11.     | असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 49 -ए में संशोधन।   | मेमो नं०-7772,<br>दि०-06.06.91   | 443-444      |
| 12.     | बिहार एण्ड उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 तथा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियं० एवं अपील) नियमावली में संशोधन।                                       | 1. जी.एस.आर. 11 दि०-05.08.90<br>2. जी.एस.आर. 12 दि०-05.08.90   | 444-446      |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 13.     | सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई करने के संबंध में।   | 1. का०-13830, दि०-14.12.89<br>2. का०-16514, दि०-05.12.80                                 | 446-450      |
| 14.     | निलंबन-विभागीय कार्यवाही प्रक्रिया का सरलीकरण।  | 2/सी. 3-30330/87 का०-4731<br>दि०-05.04.89  | 450-451      |
| 15.     | निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबन से मुक्त करने के संबंध में।  | 1. 3/आर. 3-3304/86 का०-9160<br>दि०-21.7.86<br>2. 2/सी. 3-108/80 का०-8537<br>दि०-06.07.81 | 452-456      |
| 16.     | अनियमित नियुक्ति करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई-आश्वासन सं०-814/85  | 3/क्यू 1-203/88 का०-7184<br>दि०-06.06.88   | 457-461      |
| 17.     | विकास कार्यों के लिए प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यों एवं कृत्यों का निर्धारण-निलंबन आदेश।   | 2/सी. 3-30282/88 का०-4535<br>दि०-03.04.89  | 461-462      |
| 18.     | विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सुपुर्द करने के पूर्व समय-समय पर निर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र/अनुदेशों में निहित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में। | का०-9143<br>दि०-21.07.86   | 462-468      |
| 19.     | निन्दन/चेतावनी की सजा का सरकारी सेवकों की प्रोन्नति आदि पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में।  | 3/आर. 201/86 का०-2475<br>दि०-28.02.86  | 469-470      |
| 20.     | निलंबन की अवधि में सरकारी सेवकों द्वारा उपस्थिति अंकित करने के संबंध में।   | 3/एम. 5039/85 का०-9703<br>दि०-02.08.85   | 470          |

| क्रमांक | विषय  | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक        | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 21.     | पदावनति की सजा का सरकारी सेवकों की प्रोन्नति आदि के मामलों पर पड़ने वाले कुप्रभाव का निर्धारण ।   | 3/आर. 1-102/85 का०-6051<br>दि०-11.05.85   | 471-472      |
| 22.     | निन्दन/चेतावनी की सजा का सरकारी सेवकों की प्रोन्नति आदि पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में ।   | 12/वि-1013/81 का०-5502<br>दि०-17.05.82    | 472-473      |
| 23.     | विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प/राज्यादेश निर्गत करने के संबंध में जाँच-पत्र का प्रचलन ।  | 143/सी.डी.ई.<br>दि०-27.04.85              | 473-479      |
| 24.     | सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया आरोपों को सही पाये जाने के उपरान्त उनकी सेवा संपुष्टि, दक्षतावरोध, प्रोन्नति, पेंशन आदि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण । | पत्रांक-7225<br>दि०-06.06.81              | 480          |
| 25.     | सेवा काल में आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही को सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त होने के बाद चालू रखने के संबंध में ।   | 3/आर. 1-108/39 का०-20233<br>दि०-08.11.78  | 481          |
| 26.     | लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के अंतर्गत लोकायुक्त द्वारा सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिश जारी कर देने पर आरोप को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित माना जाना ।                 | का०-18326<br>दि०-27.09.78                 | 482          |
| 27.     | निलंबित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबन से मुक्त कर पुनर्नियुक्त करने के संबंध में ।  | ओ.एम.आर. 1-046/78 का०-605<br>दि०-18.08.78 | 482-483      |
| 28.     | संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976-संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन ।   | 3/एल. 1-201/76 का०-2293<br>दि०-09.02.77   | 483-484      |

-----

## 10. न्यायालयों के आदेशों पर कार्रवाई

| क्रमांक | विषय   | परिपत्र / संकल्प संख्या एवं दिनांक          | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|---|--------------|
| 1.      | एल.पी.ए./अपील एवं स्थगन आदेश विचाराधीन रहने की अवधि में वादी द्वारा अवमानना वाद दायर किये जाने की स्थिति में कार्रवाई किये जाने के संबंध में।                                    | 3/सी. 3-3034/98 का०-4253<br>दि०-18.04.98    | 487-488      |
| 2.      | अवमानना याचिका संख्या 536/91 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के साथ उचित एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार किये जाने संबंधी दिये गये निदेश के अग्रसारण के संबंध में। | 2/सी. 3-30212/91 का०-231<br>दि०-18.01.92    | 488-497      |
| 3.      | पटना उच्च न्यायालय में दायर मुकदमों एवं पारित आदेशों पर शीघ्र कार्रवाई करने के संबंध में।  | 7/च.प. 1-103/90 का०-6901<br>दि०-14.05.91    | 497-499      |
| 4.      | पटना उच्च न्यायालय में दायर मुकदमों एवं पारित आदेशों पर शीघ्र कार्रवाई करने के संबंध में।  | 7/च.प. 1-103/90<br>का०-6951<br>दि०-12.06.90 | 499          |
| 5.      | पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं निलंबनादेश के विरुद्ध न्यायालय का स्थगन आदेश।   | पत्रांक-19786 का०<br>दि०-27.10.78           | 500          |

-----